कार्यालय,आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

Website : https://mymmc.org., E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com, Control Room - 0621-2212647

पत्रांक– 48 दिनांक 05/03/2025

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार,
–सह–
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

Land Owner– (1) श्री ठाकुर राज किशोर शर्मा, पिता– स्व0 महावीर ठाकुर वो (2) श्री संजय कुमार, वो (3) अमरेश कुमार, पिता– श्री ठाकुर राज किशोर शर्मा, ग्राम– किरतपुर गुरूदास उर्फ खबड़ा अंचल–मुशहरी थाना–सदर, पोस्ट–खबड़ा

Devloper- M/S Legend Ashoka Housing Pvt. Ltd. निदेशक – श्री रजनीश कुमार सिंह पिता– श्री अशोक प्रसाद सिह निबंधित कार्यालय ऑफिस हाउस नं0–41, रतन श्री अपार्टमेन्ट, 4जी फ्लोर 402 (I) किदवई पुरी, थाना–बुद्धा कॉलोनी, पोस्ट–जी0पी0ओ0, जिला–पटना, पिन–800001

विषय :– **प्लान केश संख्या–202/2025 B+G+6 आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा, ग्राम +मुहल्ला– किरतपुर गुरूदास उर्फ खबड़ा, जिला–मुजफ्फरपुर, अंचल मुशहरी थाना न0 334 खाता सं0– 587,175,191,35,341,601 खेसरा स0 1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820, भवन का प्रकार–B+G+6 आवासीय एव व्यवसायिक रकवा 62 3 डी0 (2522.10 Sqm) निर्मित क्षेत्र (Total Builtup Area) 10423.92 sqm बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007, बिहार भवन उपविधि 2014 के 315, 316, 317, 414 एव 419 के अतर्गत निम्न शर्त्तों पर स्वीकृति दी जाती है :–

1. बिहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारो तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एव बिहार भवन उपविधि 2014 के नियमानुसार नगर निगम के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोडना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलापूर्त्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम बिल्डिंग बायलॉज के तहत व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
4. निगम में समर्पित भू स्वामित्व प्रमाण पत्र नक्शा आदि में त्रुटि एवं गड़बडी की जवाबदेही स्वयं आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उसके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा के समय–समय पर निगम को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर निगम को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण उपरान्त कम्पलीशन प्रमाण पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत नक्शे का एक प्रति कार्य स्थल पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय–समय उप उसका जांच किया जा सके।
9. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with CamScanner

10. लेबर सेस कि कुल राशि–2991380.00 रू0 है। जिसमें नगर विकास विभाग के पत्रांक–06/न0वि0 विविध (लेबर सेस)–20/2023, 5478 नं0वि0 एवं आ0वि0 पटना दिनांक–25.09.2023 के आलोक में कुल राशि का 1/5th 598276.00 रू0 वर्तमान में जमा किया गया है। निदेश दिया जाता है कि लेबर सेस कि शेष राशि नियमानुसार ससमय जमा करना सुनिश्चित करेगे।

इस शर्त्त पर नक्शा स्वीकृत किया जाता है, यह स्वीकृति अगले पाँच वर्ष के लिये वैद्य होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन/शिकायत होने पर स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा एवं सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार,
–सह–
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

Scanned with CamScanner